रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 83] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 24, 1976/वैशाख 4, 1898

No. 83] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 24, 1976/VAISAKHA 4, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

No.....
Date.....
GOVT OF INDIA

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 24th April 1976

SUBJECT :—*Export of Iron & Steel, Ferro Alloys and Ferrous Scrap—Policy for the licensing period April* 1976—*March* 1977.

No. 14-E T C (PN)/ 75.—It has been decided that export policy for Iron & Steel, Ferro Alloys and Ferrous Scrap for the licensing period April, 1976—March, 1977 will be as in the Statement annexed (Annexure).

ANNEXURE

Export Policy in respect of S. No. 9(ii) of Schedule I Part 'B' to the Export Trade Control Order 1968 *i.e.* Iron & Steel other than Cast Iron Pipes and Fittings for the year April, 1976--March, 1977

Sl. No. as in Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968	Name of the commodity as in Part 'B' of Schedule I	Licensing Period April, 76—March, 77	Licensing Policy	Remarks	
1	2		3	4	5
9.	Metals, the following :				
	(*ii*) Iron & Steel other than cast iron pipes and fittings :—				
(*a*)	1. Pig Iron 2. Ingots & slabs 3. Billets and bars 4. Structurals 5. HR coils/plates/sheets 6. CR coils 7. GP/GC sheets 8. Electrical sheets 9. Railway materials 10. MS wires (coated & uncoated/ Medium/HC wires excluding spring steel Wires.		Export allowed. Export is canalised through SAIL International Ltd.		
	11. Alloy steels.		Export allowed on merits with prior clearance of the Deptt. of Steel.		
(*b*)	*Ferrous scrap*				
	1. Mill scale scrap 2. CI skull scrap 3. Rejected CI ingot mould/bottom plate scrap. 4. Rejected discarded CI chilled roll scrap 5. Tool & Alloy steel scrap (other than stainless steel scrap) 6. Steel skull scrap 7. CI borings (not exceeding 30,000 M. T.) 8. Detinned bundles 9. Rejected steel ingots 10. Pig iron chips/scrap		On merits, Export canalised through MSTC.		
	11. Categories other than those specified in 1 to 10 above.		Export not allowed.		
18.	*Ferro Alloys*				
	(*i*) Ferro manganese slag		Export allowed through SAIL Int. Ltd.		
	(*ii*) Ferro manganese (other than ferro manganese containing less than 0·05% carbon)/Silico manganese (*iii*) Ferro chrome (other than ferro chrome containing less than 0·03% carbon and nitrogen bearing)/ Silico chrome		On merits. Export canalised through SAIL Int. Ltd.		
	(*iv*) Ferro Silicon (*v*) Ferro alloys other than those specified in (*ii*) to (*iv*) above.		Export not allowed.		

P. K. KAUL,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1976

विषय.—लोहा और इस्पात, लोह मिश्रधातुओं और लोहस कतरन का निर्यात-लाइसेन्स अवधि अप्रैल, 1976—मार्च, 1977 के लिए नीति ।

सं० 14-टी टी सी (पी एन)/76.—यह निश्चय किया गया है कि लोहा तथा इस्पात, लोह मिश्रधातुओं और लोहस कतरन के लिए लाइसेन्स अवधि अप्रैल, 1976—मार्च, 1977 के लिए निर्यात नीति संलग्न विवरण पत्र (अनुबंध) के अनुसार होगी ।

अनुबन्ध

निर्यात व्यापार नियंत्रण, 1968 के भाग 'ख' अनुसूची-1 की क्रम संख्या 9 (ii) अर्थात् ढलवां लोहे की पाइप और जुडनारों को छोडकर लोहा और इस्पात के संबंध में अप्रैल 1976—मार्च 1977 वर्ष के लिए निर्यात नीति ।

निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची I के भाग 'ख'/के अनुसार क्रम संख्या	अनुसूची–I के भाग 'ख' के अनुसार पण्यवस्तु का नाम	लाइसेंस अवधि अप्रैल 76–मार्च 77	लाइसेस नीति	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
9. **निम्नलिखित धातुएं**:—				
(2) ढलवां लोहे के पाइप और जुडनारों से भिन्न लोहा तथा इस्पात:—				
(क)	1. कच्चा लोहा 2. सिल्लियां और पट्टियां 3. छड़ें और सलाखें 4. संरचनाएं 5. एच आर कुन्डल/प्लेटे/शीट 6. सी आर कुन्डल 7. जी/पी/जी सी शीट्स 8. विद्युतीय शीट्स 9. रेलवे सामान 10. एमएस तार (विलेपित और गैर-विलेपित/मध्यम/एचसी तार, स्प्रिंग इस्पात तारों को छोड़कर)			निर्यात की अनुमति है । निर्यात सेल इन्टरनेशनल लि० के माध्यम से सरणीबद्ध किया जाता है ।
	11. मिश्रधातु इस्पात			इस्पात विभाग द्वारा पहले निकासी पत्र दे देने पर पात्रता के आधार पर निर्यात की अनुमति है ।

1	2	3	4	5
	(ख) **लोहस कतरस**			
	1. मिल स्केल स्क्रैप			
	2. सी आई स्केल स्क्रैप			
	3. अस्वीकृत सीआई इन्गोट मोल्ड/बोटम प्लेट स्क्रैप			
	4. अस्वीकृत छांटी हुई सी आई चिल्ड रोल स्क्रैप			
	5. ओजार तथा मिश्रधातु स्क्रैप (जंग विरोधी इस्पात स्क्रैप से भिन्न)		पात्रता के आधार पर । निर्यात एमएमटीसी के माध्यम से सरणीबद्ध है ।	
	6. इस्पात स्केल स्क्रैप			
	7. सी आई बोरिंग्स (अधिकतम) 30000 मी० टन)			
	8. डीटिन्ड बेन्डल			
	9. अस्वीकृत इस्पात सिल्लियां			
	10. कच्चे लोहे की चिप्स/स्क्रैप			
	11. जो श्रेणियां उपर्युक्त 1 से 10 तक विशिष्टिकृत की गई हैं उन से भिन्न श्रेणियां		निर्यात की अनुमति नहीं है ।	*
18.	**लोह मिश्रधातुएं**			
	(1) लोह मेंगनीज मल		निर्यात की अनुमति सेल इन्टरनेशनल लि० के माध्यम से दी जाती है ।	
	(2) लोह मेंगनीज (कार्बन की मात्रा 0.05 प्रतिशत से कम लोह मेंगनीज) से भिन्न/सिलिको मेंगनीज		पात्रता के आधार पर । निर्यात, सेल इन्टरनेशनल लि० के माध्यम से सरणीबद्ध किया जाता है ।	
	(3) लोह क्रोम (कार्बन की मात्रा 6.03 प्रतिशत से कम और नाइट्रोजन धारी लोह क्रोम से भिन्न)/सिलिको क्रोम			
	(4) लोह सिलिकन			
	(5) जो उपर्युक्त (2) से (4) तक में विशिष्टिकृत की गई हैं उनसे भिन्न लोह मिश्रधातुएं		निर्यात की अनुमति नहीं है ।	

पी० के० कौल,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976